निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 43 / 2023
दायरा दिनांकः–26.06.2023
निर्णय दिनांकः– 14.10.25

उनवान

काशीलाल आयु 84 वर्ष आत्मज मार्धा उर्फ माधोलाल जाति लोधा निवासी ग्राम गेहुखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

1. विजय सिंह पुत्र काशीलाल
2. मेहताब सिंह पुत्र काशीलाल
3. मेवा बाई पुत्री काशीलाल
4. बिन्तोबाई पुत्री काशीलाल
5. ममता बाई पुत्री काशीलाल
6. राजन्ती बाई पुत्री काशीलाल
7. सम्पत बाई विधवा स्व काशीलाल जातियान लोधा निवासीगण गेहुखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. सतानन्द आत्मज बाबूलाल जाति लोधा
2. विमला बाई पुत्री बाबूलाल जाति लोधा
3. बादाम बाई पुत्री बाबूलाल जाति लोधा
4. सुगना बाई पुत्री बाबूलाल जाति लोधा
5. भूली बाई पुत्री बाबूलाल जाति लोधा
6. सन्तोष बाई पुत्री बाबूलाल जाति लोधा
7. ओमबाई पुत्री बाबूलाल जाति लोधा निवासीगण ग्राम गेहुखेडी तहसील छबडा
8. रामनारायण आत्मज रतना जाति लोधा
9. माया उर्फ धापु पुत्री रतना जाति लोधा
10 मांगीबाई पुत्री रतना जाति लोधा
11. कस्तुरी बाई पुत्री रतना जाति लोधा निवासीगण ग्राम गेहुखेडी तहसील छबडा
12. भूलीबाई पुत्री माधो जाति लोधा
13. जडियाबाई पुत्री माधो जाति लोधा
14. मथुरीबाई पुत्री माधो जाति लोधा
15. हरिसिंह पुत्र प्रभूलाल जाति लोधा
16. शांतिबाई पुत्री प्रभूलाल जाति लोधा
17. रामनारायण पुत्र प्रभूलाल जाति लोधा
18. कमला बाई पुत्री प्रभूलाल जाति लोधा
19. गुडडी बाई पुत्री प्रभूलाल जाति लोधा निवासीगण गेंहुखेडी तहसील छबडा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,92ए,188,183,, आर0 टी0 एक्ट0

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

निर्णय दिनांकः– 14.10.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राकेश सोनी – वादी
2. श्री राजेश भार्गव– प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा,88,89,91,92ए,188,183 आर.टी. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादी का दादा फून्दा आत्मज लक्ष्मण जाति लोधा निवासी गेहूंखेड़ी का था। जिनकी कृषि भूमियात ग्राम गेहूंखेड़ी, ग्राम भीलवाड़ी व ग्राम सुभानपुर जदीद में स्थित थी। दादा फून्दा का सवर्गवास सेटलमेन्ट के पूर्व ही हो गया था। दादा फून्दा ने अपनी भूमियात का बंटवारा अपने पुत्रों में कर दिया था और मुताबिक बंटवारा भूमियात पुत्रों को संभला दी थी, उसी अनुरूप पुत्र व उनके वारिसान वादी व प्रतिवादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। फून्दा आत्मज लक्ष्मण जी ने सेटलमेन्ट से पूर्व ही अपने पुत्र माधो, रतना व दोल्या के बीच बंटवारा कर भूमियात पृथक–पृथक कर कब्जा संभला दिया था। कुछ भूमियों में नाम पुत्रों के दर्ज करा दिए थे, कुछ में रह गए थे। ग्राम गेहूंखेड़ी में भूमियात मुताबिक जमाबंदी संवत् 2013 से 2016 के अनुसार खातेदार माधो वल्द फून्दा लोधा के नाम भूमि खसरा नंबर 57 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 98 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 110 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 213 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 269 रकबा 03 बीघा, खसरा नंबर 270 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 312 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 314 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 315 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 382 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 10 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा स्थित थी। इसी प्रकार ग्राम गेहूखेड़ी की भूमि मुताबिक जमाबंदी संवत् 2013 से 2016 के अनुसार खातेदार रतना व दोल्या पिता फून्दा लोधा के नाम भूमि खसरा नंबर 101 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 102 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 215 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नंबर 276 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 277 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा कुल किता पांच रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा स्थित थी। इसी प्रकार ग्राम सुभानपुर जदीद की भूमि मुताबिक जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 के अनुसार खातेदार रतना, दोल्या, माधो बेटे फून्दा लोधा के नाम भूमि खसरा नंबर 30 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 29 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 38 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा कुल किता तीन रकबा 17 बीघा स्थित थी। ग्राम सुभानपुर जदीद की भूमियात रतना व दोल्या पुत्र फुन्दा को बंटवारे में दी थी, जिस पर रतना व दोल्या का ही कब्जा काश्त है, माधो व उसके वारिसान का कोई कब्जा काश्त नहीं है। इसी प्रकार ग्राम भीलवाड़ी की भूमि मुताबिक जमाबंदी संवत् 2012 से 2015 के अनुसार खातेदार रतना, दोल्या पिता फून्दा लोधा के नाम भूमि खसरा नंबर 92 रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 93 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा कुल दो किता रकबा 13 बीघा 09 बिस्वा स्थित थी, जमाबंदी संवत् 2008 के अनुसार खातेदार रतना, दोल्या पिता फून्दा लोधा के नाम भूमि खसरा नंबर 96 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा स्थित थी। इसी प्रकार ग्राम गेहूंखेड़ी की कुल भूमि 21 बीघा 13 बिस्वा 09 बीघा 09 बिस्वा ग्राम सुभानपुर जदीद की कुल भूमि 17 बीघा ग्राम भीलवाड़ी की कुल भूमि 13 बीघा 09 बिस्वा 03 बीघा 08 बिस्वा, इस प्रकार तीनों गांवों की कुल भूमि 64 बीघा 19 बिस्वा स्थित थी, तीनों पुत्र में से प्रत्येक पुत्र के 1/3 हिस्से में 21 बीघा 13 बिस्वा भूमि आती है। वादी के पिता माधो उर्फ माधोलाल को मुताबिक बंटवारे में भूमि ग्राम गेहूंखेड़ी की भूमि मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

.माबंदी संवत् 2013 से 2016 की भूमि खसरा नंबर 57 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 98 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 110 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 213 रकबा 03 बिस्या, खसरा नंबर 269 रकबा 03 बीघा, खसरा नंबर 270 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 312 रकबा 06 बीचा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 314 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 315 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 382 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 10 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा भूमि आई थी, जो वर्तमान में वादी के कब्जे काश्त में स्थित है. उक्त भूमि को छोड़कर शेष भूमियात ग्राम गेहूंखेड़ी, सुभानपुर जदीद व भीलवाड़ी की भूमि मुताबिक मद नंबर 3 रतना व दोल्या को बंटवारे में दी गई थी। जिस पर प्रतिवादी कम 1 ता 11 काबिज है। ग्राम सुभानपुर जदीद की भूमियात में माधो का नाम दर्ज किया गया है, जिसके आधार पर माधो का फोती इंतकाल नंबर 76 खोलकर जमाबंदी संवत् 2040 से 2043 में 1/3 हिस्सा वादी व प्रतिवादी कम 12 ता 14 का दर्ज किया गया है, सुरजोबाई का स्वर्गवास हो गया है। जिसके वारिसान प्रतिवादी कम 15 ता 19 है। यह भूमियात रतना व दोल्या के हिस्से व कब्जे की होने से माधो के वारिसान वादी व प्रतिवादी कम 12, 13, 14 व सुरजोबाई का नाम खाते से खारिज कर दिया जावे। जड़िया व मथुरी ने भूमि बाबूलाल के नाम करा दी है। ग्राम गेहूंखेड़ी की पैत्रिक भूमियात मुताबिक मद नंबर 4 कुल 10 किता रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा के अतिरिक्त वादी के खसरा नंबर 330 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 316 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 376 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा कुल किता तीन रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा भूमि जर्ये इंतकाल नंबर 117 से खातेदार लक्ष्मीनारायण आत्मज श्यामलाल तेली से खरीद की गई थी, जो जमाबंदी 2042 से 2045 में पैत्रिक भूमियात के साथ दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड है। कुल भूमि 13 किता रकबा 24 बीघा 02 बिस्वा स्थित है। वादी एवं प्रतिवादी कम 1 ता 7 के पिता बाबूलाल व प्रतिवादी कम 8 के मध्य एक ही खानदान के होने के कारण आपस में काफी विश्वास व सहानुभूति थी, वादी, बाबूलाल व रामनारायण के उपर काफी विश्वास करता था। प्रतिवादी बाबूलाल व उसका पुत्र काफी होशियार व चालाक किस्म का व्यक्ति है, इसकी जानकारी अब हुई, जिन्होंने भूमियात हड़प करने के उद्देश्य से एक वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष बउनवान मुकदमा बाबूलाल बनाम काशीलाल वगैरहा के विरुद्ध प्रकरण संख्या 49/2010 अंतर्गत घरा 53, 188, 88, 89, 91 आर०टी०एक्ट का पेष किया गया। जिसमें रामनारायण, बाबूलाल व उसके पुत्र ने वादी काशीलाल के दस्तखत कराकर वकील खड़ा कर दिया और दावे का फैसला अपने हक में प्राथमिक डिकी दिनांक 09.05.2012 को करा लिया। यह दावा वादी काशीलाल की भूमि में पुनः पैत्रक भूमि बताकर तीन हिस्से करा लिए, जो खिलाफ पैत्रक भूमि का बंटवारा व न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। जिसकी अपील आर०ए०ए० कोटा के यहां पेश हुई तो काशीलाल के वकील से सांठ-गांठ कर अपील को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया। जिसकी सूचना काशीलाल को नहीं दी गई. उक्त समस्त कार्यवाही से काशीलाल अनभिज्ञा रहा, जब काशीलाल के पौते को इन सब तथ्यों का ज्ञान हुआ तो उसने अपने स्तर पर अन्य वकील साहब से संपर्क किया और अपील को पुनः नंबर पर लेने की कार्यवाही की गई, जो विचाराधीन है तथा वास्तविक तथ्यों के आधार पर यह वाद पेश किया जा रहा है ताकि न्यायालय श्रीमान को भी वास्तविकता कापता चले और बाबूलाल, उसके पुत्र व रामनारायण द्वारा किए गए कृत्यों का पता चल सके। जिन्होंने वास्तविकता को छुपाकर गलत आदेश पारित करा लिया और काशीलाल को भी भनक नहीं लगने दी। काशीलाल वादी अनपढ़ व्यक्ति है, जो केवल दस्तखत करना जानता था, लेकिन वर्तमान में 84 वर्ष की उम्र होने के

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

रण दस्तखत करने में हाथ कांपते हैं, इस कारण काशीलाल अब अंगुठा ही लगाता है। वादी के दादा फून्या की भूमियात का बंटवारा उसके पुत्र में पूर्व में ही कर दिया गया था तथा बाबूलाल व रामनारायण के पुनः काशीलाल के हिस्से में आई भूमियात व उसके द्वारा खरीदी गई भूमियात का फिर फून्दा के वारिसान में तीन हिस्सों का आदेश करा लिया गया। जिसके कारण काशीलाल के हिस्से में से अब 1/3–1/3 हिस्से का आदेश होने से भूमि कम हो गई तथा रतना व दोल्या को 1/3–1/3 हिस्सा फून्दा ने दे दिया था तथा एस०डी०ओ० छबड़ा के आदेश होने से काशीलाल के हिस्से की भूमियात में से और 1/3–1/3 भूमि मिल गई। जिसका परिणाम यह हुआ कि रतना व दोल्या के अब भूमि 29 बीघा 13 बिस्वा हो जाएगी और माधो के वारिस वादी काशीलाल के हिस्से में केवल 08 बीघा भूमि रह जाएगी। न्यायालय श्रीमान के आदेश दिनांक 09.05.2012 के अनुसार यह परिणाम निकलेगा, जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। वादी के हिस्से की भूमियात जो पिता माधो को विरासत से मिली थी तथा काशीलाल ने खरीद की थी, जो जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 के अनुसार ग्राम गेहूंखेड़ी की भूमि खसरा नंबर 57 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 98 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 110 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 213 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 269 रकबा 03 बीघा, खसरा नंबर 270 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 312 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 314 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 315 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 382 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 330 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 316 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 376 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 13 रकबा 24 बीघा 02 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि संवत् 2058 से 2061 से भी यही अंकन है। किंतु जमाबंदी संवत् 2062 से 65 में खसरा नंबर 376 रकबा 01 बीधा 02 बिस्वा के स्थान पर खसरा नंबर 317 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा दर्ज कर दी गई, जो वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074 से 2079 में भी 376 के स्थान पर 317 अंकित है, वादी खसरा नंबर 317 के स्थान पर पुनः 376 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा का संशोधन कराने का अधिकारी है। वादी काशीलाल प्रतिवादी कम ता 11 को जर्गे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। कि बाबूलाल व रामनारायण द्वारा कराए गए आदेश दिनांक 09.05.2012 के आधार पर वादी को उसके पिता माधो द्वारा प्राप्त विरासत की भूमि व खरीदशुदा भूमि का ओर पुनः बंटवारा जब तक इस वाद का निर्णय ना हो, तब तक ना करावे, वादी की भूमि ग्राम गेहूंखेड़ी की मुताबिक जमाबंदी संवत् 2074 से 2079 की कुल भूमि 13 किता रकबा 24 बीघा 01 बिस्वा पर वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करें और ना ही रिकार्ड में परिवर्तन करावे, उक्त समस्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं केर और ना ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करावें। यदि प्रतिवादीगण ने आदेश दिनांक 09.05.2012 के आधार पर वादी काशीलाल की भूमि रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज करा ली और भूमियात का रहन, बेचान कर दिया तो वादी अपने हक की भूमि से महरूम हो जाएगा तथा वादी के हिस्से की भूमि समाप्त हो जाएगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो पाएगी। वादी को अनैकानेक वाद–विवादों में उलझकर समय व धन से बर्बाद होना पड़ेगा। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकेगी। प्राइमा फेसाई केस व सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में विद्यमान है। वादी काशीलाल द्वारा इस बाबत् आपत्ति वाद पत्र बउनवान बाबूलाल वगैरहा बनाम काशीलाल केस नंबर 49/2010 में आगामी पेशी दिनांक 10.04.2023 नियत है, में भी पेश कर दी है, जो दिनांक 16.01.2023 को पेश की थी, उक्त प्रकरण में बाबूलाल व रामनारायण अंतिम डिक्री जारी करवाकर भूमियात अपने नाम कराना चाहते हैं, जबकि इसकी अपील

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

छबड़ा (बारां)

ार०ए०ए० में विचाराधीन है। अपीलेन्ट कोर्ट के आदेश होने से पूर्व ही भूमियात रेवेन्यू रिकार्ड में अपने नाम कराकर भूमियात को बेचान करने पर आमादा है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 की ओर से श्री राजेश भार्गव एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी क्रम 8 ता 20 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम गेंहुखेडी सम्वत् 2013–16 नकल जमाबन्दी ग्राम गेंहुखेडी सम्वत 2037–40 नकल नामान्तरण संख्या 117 ग्राम गेंहुखेडी नकल जमाबन्दी ग्राम गेंहुखेडी सम्वत 2042–45 नकल जमाबन्दी ग्राम गेंहुखेडी सम्वत 2050–53 नकल जमाबन्दी ग्राम गेंहुखेडी सम्वत2058–61 नकल जमाबन्दी ग्राम गेंहुखेडी सम्वत 2062–65 नकल जमाबन्दी ग्राम गेंहुखेडी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 14 नकल जमाबन्दी ग्राम गेंहुखेडी सम्वत 2013–16 नकल जमाबन्दी सुभानपुर कदीम सम्वत 2019–22 नकल जमाबन्दी ग्राम सुभानपुर सम्वत 2035–38 नकल जमाबन्दी ग्राम सुभानपुर सम्वत 2040–43 नकल जमाबन्दी भीलवादी सम्वत 2009 नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडी सम्वत 2012–15 नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडी सम्वत 2016–19 पेश की गई।

अभिभाषक उभय पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जर्ये अभिभाषक राजीनामा पेश कि उक्त प्रकरण से संबंधित एक वाद बाबूलाल बनाम काशीलाल प्रकरण संख्या 49/2010 निर्णय दिनांक 09.05.2012 को हो गया है। जिसमें प्राथमिक डिक्री की पालना में विचाराधीन है। जिसमें तारीख पेशी दिनांक 24.09.2025 नियत है। दोनो प्रकरणों में निम्न प्रकार राजीनामा हुआ। ग्राम गेहूंखेड़ी की भूमि मुताबिक जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार खाता संख्या 9/9 की भूमि खसरा नंबर 110 रकबा 0.1644 है०. खसरा नंबर 213 रकबा 0.0253 है०, खसरा नंबर 269 रकबा 0.7588 है०, खसरा नंबर 270 रखा 0.3920 है०, खसरा नंबर 312 रकबा 1.7452 है०, खसरा नंबर 314 रकबा 0.4426 है०, खसरा नंबर 315 रकबा 0.1265 है०, खसरा नंबर 316 रकबा 0.2023 है०, खसरा नंबर 317 रकबा 0.2782 है०, खसरा नंबर 330/3 रकबा 0.1391 है०, खसरा नंबर 382 रकबा 1.1635 है०, खसरा नंबर 57 रकबा 0.4426 है०, खसरा नंबर 98 रकबा 0.2023 है० कुल 13 किता रकबा 6.0828 है० भूमि काशीलाल वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी का स्वर्गवास हो गया है, उसके वारिसान के नाम रहेगी। उक्त भूमियात में से खसरा नंबर 312 की भूमि 1.7452 है0 (06 बीघा 18 बिस्वा) में से खसरा नंबर 312 की 03 बीघा 15 बिस्वा यानि की 0.7900 है० भूमि उत्तरी दिशा की वादीगण के खाते से कम करके प्रतिवादीगण 1 ता 7 बाबूलाल के वारिसान के नाम दर्ज कर दी जावे व नक्शे में भी इसी अनुसार तरमीम की जावे तथा बाबूलाल वगैरहा बनाम काशीलाल वगैरहा केस नंबर 49/2010 निर्णय दिनांक 09.05.2012 वादी के वारिसान के हकों पर निष्प्रभावी रहेगा। उसकी पालना इस राजीनामे से पूर्ण कर दी जावे। ग्राम गेहूंखेडी की भूमि वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार खाता संख्या 210/131 की खसरा नंबर 276 रकबा 0.7335 है०, खसरा नंबर 277 रकबा 1.1129 है० कुल किता दो रकबा 1.8464 है0 का बेचान प्रतिवादीगण ने कर दिया है, जो केता के नाम रहेगी। इसी प्रकार जमाबंदी 2074 से 2077 की भूमि खाता संख्या 131 की भूमि खसरा नंबर 101 रकबा 0.3920 है०, खसरा नंबर 102 रकबा 0.0632 है०, खसरा नंबर 215 रकबा 0.506 है० कुल

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

...ता तीन रकबा 0.5058 है० स्थित है। जिसमें से बाबूलाल व उसके वारिसान ने बेचान कर दी थी। जिसमें केता का नाम दर्ज है। शेष 1/2 हिस्सा रतना के वारिसान के नाम मुताबिक खाता दर्ज रहेगी। ग्राम सुभानपुर कदीम की भूमि मुताबिक जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 33/34 की भूमि खसरा नंबर 29 रकबा 1.0244 है०, खसरा नंबर 30 रकबा 2.5925 है०, खसरा नंबर 38 रकबा 0.6829 है० कुल किता तीन रकबा 4.2998 है० भूमि में से (1) काशीलाल पुत्र माधो हिस्सा 1/15 वादी. (2) भूली पुत्री माधो हिस्सा 1/15 प्रतिवादी क्रम 12. (3) सुरजीबाई पुत्री माधो हिस्सा 1/15 के वारिसान प्रतिवादी कम 15 ता 19 है. का नाम खाते से खारिज कर दिया जावे। इनका हिस्सा कस्तुरीबाई पुत्री, धापुबाई पुत्री, मांगीबाई पुत्री, रामनारायण पुत्र रतना के नाम दर्ज कर दिया जावे। बाबूलाल के वारिसान ने अपना हिस्सा बेचान केता को किया है। केता का नाम यथावत रहेगा। ग्राम भीलवाड़ी की भूमि मुताबिक जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के अनुसार खाता संख्या 77/17 की भूमि खसरा नंबर 92 रकबा 1.4923 है०, खसरा नंबर 93 रकबा 1.9096 है० कुल दो किता रकबा 3.4019 है० भूमि मुताबिक खाता यथावत रहेगा। राजीनामे अनुसार भविष्य में कोई उक्त भूमियात बाबत् वाद विवाद नहीं करेंगे। राजीनामा पक्षकारान एवं उनके वारिसान भी पालना करेंगे। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामें के अनुसार उक्त वाद पत्र व बाबूलाल वगैरहा बनाम काशीलाल वगैरहा केंस नम्बर 49/2010 निर्णय दिनांक 09.05.2012 का भी इसी राजीनामें के आधार पर निस्तारण कर दिया जावें। मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावें।

अभिभाषक उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोंकन किया गया। अभिभाषक उभय पक्षकारान एवं पक्षकारान स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर जर्ये अभिभाषकगण राजीनामा पेश किया गया। प्रस्तुत राजीनामा पक्षकारान पक्षकारान को पढ कर सुनाया गया उनके द्वारा राजीनामा सुनकर समझ कर स्वीकार किया गया तथा अपनी सहमति जाहिर की जिसकी पहचान अभिभाषकगण द्वारा की गई। प्रस्तुत राजीनामा सहमति व सन्तुष्टी के आधार पर तस्दीक किया गया। अतः वादीगण का वाद प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: <u>क्रियात्मक आदेश</u> ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम गेंहुखेडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 110 रकबा 0.1644 है0 खसरा नम्बर 213 रकबा 0.0253 है0 खसरा नम्बर 269 रकबा 0.7588 है0 खसरा नम्बर 270 रकबा 0.3920 है0 खसरा नम्बर 312 रकबा 1.7452 है0 खसरा नम्बर 314 रकबा 0.4426 है0 खसरा नम्बर 315 रकबा 0.1265 है0 खसरा नम्बर 316 रकबा 0.2023 है0 खसरा नम्बर 317 रकबा 0.2782 है0 खसरा नम्बर 330/3 रकबा 0.1391 है0 खसरा नम्बर 382 रकबा 1.1635 है0 खसरा नम्बर 57 रकबा 0.4426 है0 खसरा नम्बर 98 रकबा 0.2023 है0 कुल किता 13 रकबा 6.0828 है भूमि वादी काशीलाल के नाम दर्ज है वादी का स्वर्गवास हो गया है उसके वारिसान 1 ता 7 के नाम रहेगी उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 312 रकबा 1.7452 है0 (6.18 बीघा) में से 3.15 बीघा यानि की 0.7900 है0 भूमि उत्तरी दिशा की वादीगण के खाते से कम करके प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 बाबूलाल के

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

25

रिसान के नाम दर्ज की जावें। व नक्शे में भी इसी अनुसार तरमीम की जावें। बाबूलाल बनाम काशीलाल वगै0 केस नम्बर 49/2010 निर्णय दिनांक 09.05.2012 वादी के वारिसान के हकों पर निष्प्रभावी रहेगा।

ग्राम गेंहुखेडी की भूमि खसरा नम्बर 276 रकबा 0.7335 है0 खसरा नम्बर 277 रकबा 1.1129 है0 कुल किता 2 रकबा 1.8464 है0 का बेचान प्रतिवादीगण ने कर दिया है जो क्रेता के नाम रहेगी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 101 रकबा 0.3920 है0 खसरा नम्बर 102 रकबा 0.0632 है0 खसरा नम्बर 215 रकबा 0.506 है0 कुल किता तीन रकबा 0.5058 है0 स्थित है। जिसमें से बाबूलाल व उसके वारिसान ने बेचान कर दी थी जिसमें क्रेता का नाम दर्ज है शेष 1/2 हिस्सा रतना के वारिसान के नाम मुताबिक खाता दर्ज रहेगी।

ग्राम सुभानपुर कदीम की भूमि खसरा नम्बर 29 रकबा 1.0244 है0 खसरा नम्बर 30 रकबा 2.5925 है0 खसरा नम्बर 38 रकबा 0.6829 है कुल किता 3 रकबा 4.2998 है0 भूमि में से काशीलाल पुत्र माधों हिस्सा 1/15 वादी भूली पुत्री माधों हिस्सा 1/15 प्रतिवादी क्रम 12 सूरजी बाई पुत्री माधों हिस्सा 1/15 के वारिसान प्रतिवादी क्रम 15 ता 19 है का नाम खाते से खारिज किया जावें। तथा इनका हिस्सा कस्तुरीबाई पुत्री धापुबाई, पुत्री मांगीबाई पुत्री रामनारायण पुत्र रतना के नाम दर्ज किया जावें। बाबूलाल के वारिसान ने अपना हिस्सा बेचान क्रेता को किया है क्रेता का नाम यथावत रहेगा। ग्राम भीलवाडी की भूमि खसरा नम्बर 92 रकबा 1.4923 है0 खसरा नम्बर 93 रकबा 1.9096 है0 कुल 2 किता रकबा 3.4019 है0 भूमि मुताबिक खाता यथावत रहेगी। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 43/2023	धारा 88,89,91,92ए,188,183 ,आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 14.10.25
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री राकेश सोनी		अभिभाषक प्रतिवादीः– श्री राजेश भार्गव

वाद शीर्षक

उनवान

काशीलाल आयु 84 वर्ष आत्मज मार्धा उर्फ माधोलाल जाति लोधा निवासी ग्राम गेहुखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

1. विजय सिंह पुत्र काशीलाल
2. मेहताब सिंह पुत्र काशीलाल
3. मेवा बाई पुत्री काशीलाल
4. बिन्तोबाई पुत्री काशीलाल
5. ममता बाई पुत्री काशीलाल
6. राजन्ती बाई पुत्री काशीलाल
7. सम्पत बाई विधवा स्व काशीलाल जातियान लोधा निवासीगण गेहुखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. सतानन्द आत्मज बाबूलाल जाति लोधा
2. विमला बाई पुत्री बाबूलाल जाति लोधा
3. बादाम बाई पुत्री बाबूलाल जाति लोधा
4. सुगना बाई पुत्री बाबूलाल जाति लोधा
5. भूली बाई पुत्री बाबूलाल जाति लोधा
6. सन्तोष बाई पुत्री बाबूलाल जाति लोधा
7. ओमबाई पुत्री बाबूलाल जाति लोधा निवासीगण ग्राम गेहुखेडी तहसील छबडा
8. रामनारायण आत्मज रतना जाति लोधा
9. माया उर्फ धापु पुत्री रतना जाति लोधा
10 मांगीबाई पुत्री रतना जाति लोधा
11. कस्तुरी बाई पुत्री रतना जाति लोधा निवासीगण ग्राम गेहुखेडी तहसील छबडा
12. भूलीबाई पुत्री माधो जाति लोधा
13. जडियाबाई पुत्री माधो जाति लोधा
14. मथुरीबाई पुत्री माधो जाति लोधा
15. हरिसिंह पुत्र प्रभूलाल जाति लोधा
16. शांतिबाई पुत्री प्रभूलाल जाति लोधा
17. रामनारायण पुत्र प्रभूलाल जाति लोधा
18. कमला बाई पुत्री प्रभूलाल जाति लोधा
19. गुड्डी बाई पुत्री प्रभूलाल जाति लोधा निवासीगण गेंहुखेडी तहसील छबडा

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम गेंहुखेडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 110 रकबा 0.1644 है0 खसरा नम्बर 213 रकबा 0.0253 है0 खसरा नम्बर 269 रकबा 0.7588 है0 खसरा नम्बर 270 रकबा 0.3920 है0 खसरा नम्बर 312 रकबा 1.7452 है0 खसरा नम्बर 314 रकबा 0.4426 है0 खसरा नम्बर 315 रकबा 0.1265 है0 खसरा नम्बर 316 रकबा 0.2023 है0 खसरा नम्बर 317 रकबा 0.2782 है0 खसरा नम्बर 330/3 रकबा 0.1391 है0 खसरा नम्बर 382 रकबा 1.1635 है0 खसरा नम्बर 57 रकबा 0.4426 है0 खसरा नम्बर 98 रकबा 0.2023 है0 कुल किता 13 रकबा 6.0828 है भूमि वादी काशीलाल के नाम दर्ज है वादी का स्वर्गवास हो गया है उसके वारिसान 1 ता 7 के नाम रहेगी उक्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

... तारीख पेशी दिनांक

मैं से 3.15 बीघा यानि की 0.7906 हैक्टेयर (6.18 बीघा) में से खसरा नम्बर 312 रकबा 1.7462 है0

बाबूलाल के वारिसान के नाम करके प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 की वादीगण के खाते से कम

काशीलाल वगै0 केस नम्बर की जावें। बाबूलाल बनाम नक्शे में भी इसी अनुसार तरमीम

रहेगा। वारिसान के हकों पर निष्प्रभावी दिनांक 09.05.2012 वादी के

खसरा नम्बर 276 रकबा 0.7335 है0 खसरा नम्बर ग्राम गेंहुखेडी की भूमि

जो क्रेता के नाम का बेचान प्रतिवादीगण ने कर दिया है रकबा 1.8464 है0

1.1129 है0 कुल किता 2 रकबा 1.8464 है0 खसरा नम्बर 215

इसी प्रकार खसरा नम्बर 101 रकबा 0.3920 है0 खसरा नम्बर 102 रकबा 0.0632 है0 खसरा नम्बर 215 रकबा

0.506 है0 कुल किता तीन रकबा 0.5058 है0 स्थित है। जिसमें से बाबूलाल व उसके वारिसान ने बेचान कर

दी थी जिसमें क्रेता का नाम दर्ज है शेष 1/2 हिस्सा रतना के वारिसान के नाम मुताबिक खाता दर्ज रहेगी।

ग्राम सुभानपुर कदीम की भूमि खसरा नम्बर 29 रकबा 1.0244 है0 खसरा नम्बर 30 रकबा 2.5925 है0 खसरा नम्बर 38 रकबा 0.6829 है कुल किता 3 रकबा 4.2998 है0 भूमि में से काशीलाल पुत्र माधों हिस्सा 1/15 वादी भूली पुत्री माधों हिस्सा 1/15 प्रतिवादी क्रम 12 सूरजी बाई पुत्री माधों हिस्सा 1/15 के वारिसान प्रतिवादी क्रम 15 ता 19 है का नाम खाते से खारिज किया जावें। तथा इनका हिस्सा कस्तुरीबाई पुत्री धापुबाई, पुत्री मांगीबाई पुत्री रामनारायण पुत्र रतना के नाम दर्ज किया जावें। बाबूलाल के वारिसान ने अपना हिस्सा बेचान क्रेता को किया है क्रेता का नाम यथावत रहेगा। ग्राम भीलवाडी की भूमि खसरा नम्बर 92 रकबा 1.4923 है0 खसरा नम्बर 93 रकबा 1.9096 है0 कुल 2 किता रकबा 3.4019 है0 भूमि मुताबिक खाता यथावत रहेगी।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक ...16:10:25... को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला-बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अधिकारी छबड़ा, जिला बारां

		व्ययानुतोष	
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		